रामेश्वर डूडी को एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया

जयपुर। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की हालात में सुधार नहीं होने पर मंगलवार सुबह एयर एम्बुलेंस से जयपुर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

मंगलवार सुबह एयर एंबुलेंस जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। एसएमएस अस्पताल से सुबह करीब साढ़े नौ बजे डूडी को बाहर लाया गया। इसके बाद डूडी को एसएमएस के डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में जयपुर एयरपोर्ट ले जाया गया। जहां से डूडी को एयर एंबुलेंस लेकर रवाना हो गई। एयर एंबुलेंस में वेदांता के डॉक्टर्स की देखरेख में डूडी को ले जाया गया।

कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी को एयरपोर्ट पर ले जाने से पहले ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एसएमएस अस्पताल से एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इस दौरान एसएमएस अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। साथ ही एसएमएस अस्पताल में भारी संख्या में डूडी के समर्थकों का जमावड़ा दिखा। वहीं केबिनेट मंत्री बीडी कल्ला और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सहित कई कांग्रेसी नेता एसएमएस अस्पताल में मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार रात को सीएम गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। गौरतलब है कि रामेश्वर डूडी की रविवार सुबह तबीयत बिगड़ी थी। जिसके बाद उन्हे मानसरोवर के मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जहां ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी सर्जरी की गई। इसके बाद उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। कोई खास सुधार नहीं हुआ।

उन्हें ऑपरेशन के 42 घंटे बाद भी होश नहीं आया है। परिजनों के कहने पर एसएमएस अस्पताल प्रशासन की ओर से ट्रीटमेंट नोट बनाकर सोमवार को मेदांता अस्पताल भेजा था। जिसके बाद मंगलवार सुबह डूडी को मेंदाता अस्पताल के लिए एयर एंबुलेंस से रैफर कर दिया गया।

जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल से रामेश्वर डूडी को मंगलवार को गुरूग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले सास-ससुर और पति को उम्रकैद

जयपुर, (का.सं.)। महिला उत्पीड़न और दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर द्वितीय ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त सास-ससुर किशनलाल साहू और तारा देवी के साथ ही पति गौरीशंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी आशा चौधरी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने मृतका को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अभियुक्तों का कृत्य माफी योग्य नहीं है। ऐसे में उनके प्रति किसी तरह की नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पूजा का विवाह 20 सितंबर, 2020 को गौरीशंकर के साथ हुआ था। दोनों का यह दूसरा विवाह था। विवाह के बाद से ही अभियुक्त उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताडित करते थे। जिसके चलते उसने 23 अप्रैल 2021 को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को भाजपा अनुशासन समिति ने दिया नोटिस

केंद्रीय मंत्री पर टिप्पणी करने पर पार्टी ने सख्ती दिखाते हुए दिया नोटिस

- **नोटिस मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा : पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल**

जयपुर। भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर गई है। इसी के साथ ही अब एक-दूसरे नेताओं पर बयान बाजी भी शुरू हो गई है। इसी बयान बाजी पर लगाम लगाते हुए भाजपा की अनुशासन समिति ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल को नोटिस जारी किया और 10 दिन में जवाब मांगा। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कहा कि अभी तक नोटिस के बारे में मुझे जानकारी मिली है, अभी तक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। मेघवाल ने कहा की नोटिस मिलेगा तो जवाब दिया जाएगा।

भाजपा मिशन 2023 फतह मिशन को लेकर मैदान में उतरी भाजपा के लिए उनके नेता के बयान ही मुश्किल बनते दिख रहे हैं। हालांकि चुनावी मैदान में पार्टी में पूरी तरह से चौसर बिछा दी है और इस बीच मोहरे भी पार्टी ने अलग-अलग सेट किए थे, लेकिन इस बीच परिवर्तन यात्रा में बदलाव और फिर अब जब ठीक परिवर्तन के शुरू होने से पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल का बयान, हालांकि पार्टी के अनुशासन समिति ने मेघवाल को नोटिस जारी करते हुए इस बयान पर जवाब भी मांगा है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि आखिरकार क्यों ना उनके खिलाफ पार्टी के अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। मेघवाल को इस नोटिस का 10 दिन में जवाब देना है, लेकिन चुनावी बॉर्डर पर खड़ी पार्टी के लिए मेघवाल का यह बयान कई मायनों में सियासी हलचल पैदा कर चुका है। वही इस बयान से भारतीय जनता पार्टी भी एक कदम बैकफुट पर खड़ी नजर आ रही है। आपको बता दें कि कैलाश मेघवाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते आए हैं। फिर चाहे पार्टी के सत्ता में रहते बयान दिए हो या फिर विपक्ष की भूमिका में मेघवाल गहलोत सरकार के सियासी संकट के दौरान भी सरकार के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आए थे। मेघवाल इस बार अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ बयान बाजी की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पर सीधा हमला बोलते हुए मेघवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप जड़े थे। देखा जाए तो मेघवाल को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की खेमे का माना जाता है और अब इस बयान को मिशन 2023 से जोड़कर सीधा-सीधा देखा जा रहा है।

जयपुर में बम विस्फोट की साजिश रचने वाले दो आतंकी गिरफ्तार

- **एन.आई.ए. ने दोनों आतंकियों को पुणे से दबोचा**

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर में बम विस्फोट की साजिश रचने वाले दो आतंकियों इमरान खान और यूनुस साकी को नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को इन्हें जयपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। अब 1 सितंबर को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।

मध्य प्रदेश के रतलाम में रहने वाले इन आरोपियों की तलाश पिछले साल मार्च से ही थी। जांच एजेंसी ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। ये दोनों शातिर आरोपी बम बनाने में माहिर हैं और आईएसआईएस से प्रेरित संगठन सूफा के सक्रिय सदस्य हैं। एनआईए का कहना है कि पुणे (महाराष्ट्र) के कोथरुड़ इलाके में इमरान खान व यूनुस बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। गत 18-19 जुलाई की रात करीब 3 बजे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। कोथरुड़ (पुणे) इलाके से इमरान और यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में दोनों पर शक गहराया। इसके बाद पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। यहां से एक लाइव राउंड (जिंदा कारतूस), 4 मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि इमरान खान और यूनुस साकी एनआईए का वांटेड हैं। इसके बाद पुणे पुलिस ने जांच एजेंसी को सूचित किया। एनआईए ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर पुणे से सोमवार को गिरफ्तार किया और जयपुर लेकर आए। मार्च-2022 में चितौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में जुबेर, अल्तमश शेरानी और सैफुल्ला विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री के साथ पकड़े गए थे। इनके साथी इमरान और यूनुस यहां से फरार हो गए थे। जयपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले विस्फोटक को जमीन में दबाकर रखने की प्लानिंग थी लेकिन वारदात से पहले खुलासा हो गया।

अब पार्ट टाइम कार्मिकों को भी मिलेंगे सेवानिवृत्ति परिलाभ

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 का अनुमोदन, जयपुर में जेम बोर्स की स्थापना तथा विभिन्न संस्थाओं को भूमि आवंटन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। साथ ही, जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड करने का भी फैसला किया गया है।

मंत्रिमंडल ने राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स-2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसमें पार्ट टाइम कार्मिकों को सेवा समाप्ति पर 2 से 3 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता पैकेज मिलेगा।

आमेर में हजारों महिलाओं ने डॉ. सतीश पूनिया को राखी बांधी

आमेर शहर में आयोजित 'कमल राखी संगम' कार्यक्रम में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को महिलाओं ने राखी बांधी।

जयपुर। आमेर शहर में आयोजित 'कमल राखी संगम' कार्यक्रम में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया को हजारों की संख्या में पहुंचीं माता-बहनों ने राखी बांधकर भाजपा के विजय संकल्प का आशीर्वाद दिया और मुस्लिम बहनों ने भी राखी बांधकर अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया।

सतीश पूनियां ने संबोधित करते हुये कहा कि, आमेर के लिये जब तक बीसलपुर की योजना मंजूर नहीं हो गई तब तक मैंने सरकार और मंत्री का पीछा नहीं छोड़ा था, 2017 में यह मंजूर हुई, 2019 में इसको पूरा होना था, सरकार बदल गई और कांग्रेस सरकार की नीयत भी बदल गई। आमेर की 65 प्रतिशत आबादी को बीसलपुर का पानी मिलता है, केवल तीन चार महीने की बात है, यह कांग्रेस सरकार कितनी ही उदासीनता कर ले, लेकिन आमेर के हर घर तक पानी पहुंचे यह मेरी कोशिश है, इस काम को हम भाजपा की सरकार बनने पर प्राथमिकता के साथ पूरा करेंगे, इसके लिये संकल्पित हूं।

यहां सड़कें बदहाल थीं, हमने आमेर विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ रुपये के बजट से सड़कें बनाई, लेकिन कांग्रेस शासन में आमेर के साथ भेदभाव हुआ है।

मेडिकल रिपोर्ट देखकर दिए नियुक्ति के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वन रक्षक भर्ती-2020 में अभ्यर्थियों की ऊंचाई और सीने की नाप को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट को देखकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश कुलदीप शर्मा व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वन रक्षक के 1041 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। जिसमें लिखित परीक्षा पास करने के बाद याचिकाकर्ताओं की दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें याचिकाकर्ताओं की ऊंचाई और सीने की नाप लेने के दौरान गड़बड़ी करते हुए कम उनकी नाप ली गई। इसके चलते उन्हें चयन से वंचित कर दिया गया। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा नियमानुसार ही ली गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर एसएमएस मेडिकल कॉलेज को आदेश दिए थे कि वह याचिकाकर्ताओं की शारीरिक दक्षता का पुनः परीक्षण करे। जिसकी पालना में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बोर्ड ने याचिकाकर्ताओं की शारीरिक दक्षता का परीक्षण कर अदालत में अपनी सीलबंद रिपोर्ट पेश की।

एसआई को दस साल की कैद

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने महिला एसआई से मारपीट और दुष्कर्म करने के अभियुक्त बर्खास्त एसआई अशोक कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता में दुष्कर्म के संबंध में साक्ष्य पेश किए हैं और उसके बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। पीड़िता के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि पीडिता ने 17 अप्रैल 2018 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

छात्र हित में फैसले ले गहलोत सरकार : कर्नल राज्यवर्धन

जयपुर। प्रदेश में युवाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एंव सासंद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि एक वर्ष में 5500 से ज्यादा आत्महत्या की घटनाएं चौंकाने वाली हैं। मुख्य रूप से एक ही शहर के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों का यह आंकड़ा और भी डराने वाला है। प्रदेश के कोटा शहर में जनवरी माह से अगस्त तक 24 आत्महत्याएं की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा बात करें तो कोटा में सालाना औसतन 15 आत्महत्या की घटनाएं सामने आती हैं। प्रदेश में बेरोजगारी और कोचिंग संस्थानो के तनाव में युवाओं का अकाल मौत का शिकार होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

कर्नल राठौड़ ने कहा कि राजस्थान को लाचार बनाने वाली कांग्रेस सरकार यह भूल गई कि जैसे परिवार चलाने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की होती है, उसी तरह प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी भी प्रदेश के मुखिया सीएम गहलोत की है। कोटा में हर साल 30 लाख से ज्यादा छात्र देशभर से पढ़ने आते हैं। जहां पहले कोलंबिया, अमेरिका, इंग्लैड और अन्य देशों में छात्र उच्च शिक्षा के लिये जाते थे अब यह सुविधा कोटा में उपलब्ध है। लेकिन कांग्रेस सरकार छात्रों को बेहतर वातावरण नहीं दे पा रही है। उसके बाद ऊपर से सीएम का असंवेदनशील बयान कि यदि पंखे से लटककर आत्महत्या होती है तो छात्रों के कमरे में स्प्रिंग के पंखे लगवाने चाहिए। सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बैन कर देने चाहिए। कर्नल राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को हर चीज पर बैन लगाना बड़ा आसान लगता है।

'गंगापुर सिटी में कब्जे हटाने के लिये टीम का गठन करें'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट कें गंगापुर सिटी के महादेव मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामले पर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश एम.एम.श्रीवास्तव और न्यायाधीश प्रवीण भटनागर द्वारा आदेश पारित किये गये हैं कि गंगापुर सिटी जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 'टीम' का गठन किया जाए जो मंदिर की जमीन का मुआयना करे और अपनी रिपोर्ट दायर करे। इस मामले में याचिकाकर्ता महासचिव रोजगार युवा समिति एन.जी.ओ.की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और उनके सहायक अधिवक्ता योगेश टेलर पेश हुए।

गहलोत ने मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटने का इशारा किया

ऐसे में समझा जा रहा है कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी को संदेश दिया है कि वो उनके विधायकों का ध्यान रखते हुए विशेष वरीयता दें

- **उधर सी.पी.जोशी ने भी कहा, ''मैं गहलोत का फॉलोवर नहीं, बल्कि कॉलोबरेटर, हमारे वैचारिक मतभेद''**
- **अधिकांश नेता बेटों की पैरवी करके गए, लेकिन हरेंद्र मिर्धा बोले, ''अभी पार्टी मुझे टिकट दे रही है, बेटे को इंतजार करना पड़ेगा''**

जयपुर, (का.प्र.)। इधर जयपुर में दो दिन से प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकर चल रही है और स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश चुनाव समिति तथा प्रदेश के प्रमुख नेताओं से बात कर रही है, दूसरी ओर इस दौरान जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने विधायकों की तरफदारी करते हुए कहा कि संकट के समय सरकार बचाने वाले, मेरा साथ देने वाले विधायकों को टिकट मिले और मैं चाहता हूं कि वो जीत कर आएं। यानी कि एक तरह से गहलोत ने इशारा कर दिया है कि मौजूदा विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएं।

जयपुर में स्क्रीनिंग कमेटी ने एक दिन पहले जहां प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से बात की थी। वहीं मंगलवार को समिति ने तीन संभागों के मंत्री, विधायकों और प्रमुख नेताओं से चर्चा कर उम्मीदवारों के बारे में राय जानने का प्रयास किया।

स्क्रीनिंग कमेटी दो दिन से अपना काम कर रही है लेकिन इस बीच जोधपुर दौरे पर गए मुख्यमंत्री गहलोत ने एक ओर तो यह कहा कि कांग्रेस इस बार नए चेहरों को मैदान में उतारेगी। उम्मीदवार अगर जिताऊ है तो वह चाहे जिला परिषद सदस्य हो, वार्ड पंच हो या पार्षद हो, उनको मौका मिलेगा। सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर आए राजनीतिक संकट के दौरान उनका साथ देने वाले विधायकों की तरफदारी कर उन्हें फिर से टिकट दिए जाने की वकालत कर दी है। अब चुनाव निकट है, ऐसे में समझा जा रहा है कि उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी को भी संदेश दिया है कि वो उनके विधायकों का विशेष ध्यान रखते हुए उम्मीदवार बनाने में विशेष वरीयता दें।

जोधपुर दौरे पर मुख्यमंत्री ने ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अपना एक पुराना बयान दोहराया और कहा मैंने जब राजनीति में करियर शुरू किया, उस समय मैं अशोक गहलोत का फॉलोअर था। उन्होंने यह भी कहा कि एक फॉलोअर होता है, एक कॉलोबरेटर और एक पार्टनर। मैं अशोक गहलोत का दोस्त नहीं हूं। मुझे अशोक गहलोत ने सरकार में जो पद दिया और काम करने का मौका दिया, इससे मेरी एक स्टेज बनी है। इनके कार्यकाल में आज मेरी जो स्थिति बनी है स्पीकर और सेंट्रल मिनिस्टर की। इसलिए मैं अपनी स्पेस कॉलोबरेटर के जैसी कर रहा हूं न कि फॉलोअर की तरह। जोशी ने कहा इसलिए हमारे व इनके बीच में विचारों का मतभेद है। फॉलोअर और कॉलोबरेटर में एक अंतर होता है। फॉलोअर अपने नेता की बात ब्लाइंडली फॉलो करता है। जबकि कॉलोबरेटर अपनी बात रख फॉलो करता है। मैं अपनी स्पेस क्रिएट कर फिर इनको लीडरशिप देता हूं, इसलिए मैं दोस्त नहीं, कॉलोबरेटर हूं।

दूसरी ओर स्क्रीनिंग समिति के सामने चर्चा करने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मिर्धा परिवार के वरिष्ठ सदस्य हरेंद्र मिर्धा से जब पूछा गया कि क्या आप भी अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, तो उन्होंने इससे इंकार करते हुए कहा कि अभी तो पार्टी मेरे नाम पर विचार कर रही है। ऐसे में बेटे का तो कोई सवाल ही नहीं है। मिर्धा ने कहा कि मुझे पार्टी जब टिकट ऑफर कर रही है, तो अभी पुत्र कहां से? बेटे को तो अभी वैट करना पड़ेगा। उन्होंने खुद अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे पिताजी थे, तब हमने भी काफी इंतजार किया था। अब मेरे बेटे की बारी है इंतजार करने की। हरेंद्र मिर्धा ने कहा कि जब मैं चुनाव हारा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण परिस्थितियां तो थीं ही, अपनी ही पार्टी में निपटाने वाले लोग भी थे। मिर्धा ने कहा कि इस बार निपटाने वाले व्यस्त हैं, ऐसे में पार्टी जहां से मुझे टिकट देगी, मैं चुनाव जीतूंगा।

हरेंद्र मिर्धा ने जहां अपने बेटे को इंतजार करने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर दीपेंद्र सिंह शेखावत, अमीन खान, जोहरीलाल मीणा, शांति धारीवाल, महादेव सिंह खंडेला स्क्रीनिंग समिति से मिलकर अपने पुत्र को चुनाव लड़ने की पैरवी करके गए हैं।

नम्बर मिलाइए
9587884433

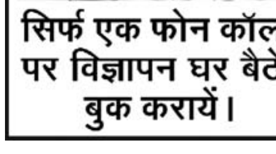

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:7519 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक:17.08.2023
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 103/74 (HIG), (एरिया 120.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री गोपाल राम मुंडोतिया पुत्र श्री धीसा राम को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 996 दिनांक 29.04.1993 को जारी किया गया। श्री गोपाल राम मुंडोतिया के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 20.02.1996 को उप पंजीयक-सांगानेर, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री गोपाल राम मुंडोतिया की मृत्यु दिनांक 23.02.2003 को हो जाने के कारण हकत्याग पत्र के आधार पर इनके वारिस श्री अक्षय मुंडोतिया पुत्र स्व. श्री गोपालराम मुंडोतिया एवं सुश्री प्रीति गोयल पुत्री स्व. श्री गोपालराम मुंडोतिया द्वारा उक्त आवास को अपने स्वंय के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अक्षय मुंडोतिया पुत्र स्व. श्री गोपालराम मुंडोतिया एवं सुश्री प्रीति गोयल पुत्री स्व. श्री गोपालराम मुंडोतिया का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
भवदीय,
सम्पदा प्रबंधक, राज. आवा. मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1760 दिनांक-29.08.2023
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 77/180 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 91.875 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री गुरु बचनसिंह पुत्र श्री सुजानसिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2188 दिनांक 04.12.1998 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 21.04.1999 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 4353 दिनांक 21.11.2000 के द्वारा श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 25.09.2002 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव की मृत्यु दिनांक 26.06.2022 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती राशि श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती राशि श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्य श्री ईश्वर दास पुत्र श्री गोविन्दराम, जाति सिन्धी, उम्र 58 वर्ष, निवासी-64/394, सेक्टर-64 श्योपुर रोड, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.) की ओर से सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य के पुत्र कमलेश रामचन्दानी गलत संगत में पड गया है एवं उनके कहने-सुनने में नहीं है, इस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र कमलेश रामचन्दानी को अपनी जाति जिन्दगी एवं समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरे अभिभाष्य के पुत्र कमलेश रामचन्दानी का मेरे अभिभाष्य की चल व अचल सम्पत्ति व निजी जिन्दगी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहेगा। यदि कोई मेरे अभिभाष्य के पुत्र कमलेश रामचन्दानी से किसी प्रकार का कोई लेनदेन या संव्यवहार करता है तो मेरे अभिभाष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
(हेमराज मीना) एडवोकेट, मो. 8503871294

रिकार्ड संभलाये जाने बाबत सूचना
श्री मदनलाल गोवला पुत्र श्री मंगल चन्द शर्मा
म.नं. 30, के.के. पब्लिक स्कूल के सामने,
इन्द्रा नगर विस्तार योजना,
मदनगंज किशनगढ, जिला-अजमेर
जरिये विज्ञप्ति आपको सूचित किया जाता हैं कि आपने राजस्थान प्रादेशिक खाण्डल विप्र संगठन के नव निर्वाचित अध्यक्ष को संस्था रिकार्ड, लेखे व लेखों से सम्बन्धित वाउचर आदि आदिनांक नहीं संभलाये हैं। इस बाबत आपको दो बार रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचना भी भेजी गई, लेकिन आपने पत्र लेने से इन्कार कर दिया। अतः आप इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 15 दिवस में नव निर्वाचित अध्यक्ष को तत्समय हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन के बिल, वाउचर एवं समस्त रिकार्ड संभलायें, अन्यथा यह समझा जावेगा कि आप जानबूझकर एवं बदनियति से यह कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आप रिकार्ड अपचरण के दोषी हैं। अतः आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
(रमेश चन्द्र गोधला)
संयोजक, अनुशासन एवं जांच समिति
अखिल भारतीय श्री खाण्डल विप्र महासभा
37, हाथी बाबू का बाग, कान्तिनगर, जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)
कमरा नं. 608, पांचवी मंजिल, मिनी सचिवालय, बनीपार्क, जयपुर
Email ID: drjpr.coop@gmail.com.in Phone No. 0141-2200836
क्रमांक- 318-19 दिनांक- 22.08.2023
सार्वजनिक नोटिस
(अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-9 (1)
उन्नति क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर (पंजीयन संख्या-873/LC दि.27.02.2015 ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा-9 के तहत समिति के नाम में परिवर्तन करने हेतु दिनांक 16.06.2023 को समिति की वार्षिक आमसभा का आयोजन कर समिति का नाम उन्नति क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि.जयपुर पता-25-ए, श्याम विहार, पन्नाधाय सर्किल प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर 302033 जिला जयपुर के स्थान पर 'प्रगति क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर' पता-14-15, शिव कॉलोनी, चौधरी प्लाजा, सांगानेर, जयपुर-302029 (राजस्थान) करने का निर्णय लिया जाकर इस कार्यालय को आवेदन किया है।
अतः इस नोटिस के जरिये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस समिति के नाम व पते में परिवर्तन से किसी को कोई आपत्ति हो तो एक माह के भीतर-भीतर उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। एक माह के पश्चात किसी प्रकार की आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सहकारी सोसायटियों के रजिस्टर में पूर्ववर्ती नाम के स्थान पर नया नाम प्रविष्ट कर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र व पंजीकृत उपनियमों को तदनुसार संशोधित कर दिया जायेगा। सूचित रहे।
(उदयदीप सिंह राठौड) उप रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां, जयपुर (शहर)

1392
16.8.23
उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) **वाद सं. 201/2023**
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी-नाम हेमांक टेलर S/o स्व. हनुमान टेलर जाति टेलर
विवाद स्थान-17-A संजय नगर-C, चरण नदी-2 नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.)
मृतक हनुमान टेलर की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक - 21.9.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम हनुमान टेलर पुत्र भगवान टेलर जाति टेलर निवासी 17-A संजय नगर-C, चरण नदी-द्वितीय नाडी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 9 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 16 माह 08 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम
(मुहर) जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

1387
16.8.23
उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) **वाद सं. 200/23**
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी-नाम राशि अग्रवाल W/o विनोद कुमार गुप्ता जाति महाजन
विवाद स्थान-ग्राम खेरी चरनन तहसील श्री माधोपुर जिला सीकर (राज.)
मृतक मीरा गुप्ता की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक - 21.9.23
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/ प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम मीरा गुप्ता D/o रामचंद्र गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम पोस्ट खोरा बीसल जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 9 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 16 माह 08 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम
(मुहर) जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर महानगर द्वितीय

खोया पाया

जेडीए की स्कीम गोविन्दपुरा सांगानेर जयपुर के प्लाट नंबर एफ-1402 (डी-5280) का जेडीए से जारी आवंटन पत्र खो गया है सूचित करें। भगवान सहाय मो.-9929209979

मेरा आवास 171/52 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया हैं मिलने पर संपर्क करें-9414406021

मेरा आवास 171/51 प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया हैं मिलने पर संपर्क करें-9829160019

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हिमांशु से बदलकर हिमांशु जसवानी रख लिया है। भविष्य में मुझे हिमांशु जसवानी पुत्र महेश कुमार के नाम से जाना पहचाना जाये। निवासी-बी-26, संजय कॉलोनी, पानीपेच, जयपुर

मैं 14661715-ए हवलदार दयाराम पुत्र रूघाराम 24, Grenadiers C/o 56 APO (EME RECORD SECUNDERBAD) निवासी गांव घाणामंगरा पोस्ट भावी तहसील बिलारा, जोधपुर राज. 342605 मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरी पुत्री का नाम कुमारी खुशबू गलत दर्ज है सही नाम खुशबू शपथ पत्र BS 308771 दिनांक 29.08.2023 जयपुर

I have changed my name from Rinky Choudhary to Rinky Chaudhary for all purpose R/o 356 Himmat Nagar Gopalpura Mode Tonk Road, Jaipur.

I have changed my name Kailash Chand to Kailash Saini S/o Brajmohan Saini for all purpose. R/o Rajgarh (Alwar)

I have changed my name from Mohit Shah to Mohit Kumar Jain S/o Ashok Kumar Jain for all purpose. Resi. Ward No. 11, Nawa Nagaur-341509

I Prem Chand Harsh S/o Basant Kumar Harsh, 2032, Pitaliyon ka chowk, Johari Bazar, Jaipur 302003 pledge that both (PREM HARSH) and (PREM CHAND HARSH) are my own names, In future I should be known and recognized by both the above names.